

वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001

सं 8-3(6)/2017-सामान्य

दिनांक. 20.2.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर के कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सा सहायक (एएमए) की नियुक्ति


सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर ने अधिकृत चिकित्सा सहायक के रूप में निम्नवत डाक्टरों की नियुक्ति को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधन पर अनुमोदन प्रदान किया है:-

Sl No	Area	Name of Employee	Name and Address of Doctor(AMA)
1	Gurgaon	Sh Rahul Bhatnagar, Sr Secretariate Assistant	Dr. R.S. Yadav, MBBS H.No.772, Sec 17-A, Gurgaon
2	Ballabgarh Faridabad	Sh Umesh Gupta, S.O.	Dr. P.K.Mittal, M.B.B.S. H No 164, Ward No 5, Brahman Wara, Ballabgarh, Faridabad, Haryana
3	Sec 20, Rohini	Sh Jai Kishan, Electrician	Dr. Virender Kumar, MBBS & MD, Pkt-10, Sector-20, Rohini, Delhi 110085
4	Hapur Ghaziabad	Sh Gopal Singh, Electrician	Dr. Parag Sharma, MBBS & MD, 30, Indralok Colony, Street No.2, Hapur-245101, Ghaziabad, UP
5	Daadri UP	Sh Mahesh, MTS	Dr. Sanjay Nagar, MBBS, Gurjar Colony, Railway Road, Dadri
6	Wazirpur Road Gurgaon	Sh Satya Narain, Jr S.A.	Dr. Prem Chand Gupta, MBBS, Near Anaj Mandi, Wazirpur Road, Rarrukh Nagar, Distt.-Gurgaon
7	Sonipat	Sh S R Alam, SO	Dr. Madan Singh Chauhan, MBBS, MS Kath Mandi , Nr Old Court, Sonipat
8	Samalkha, Panipat	Sh Subhash Chander, Asstt S.O.	Dr. I.C. Garg, M.B.B.S ISH Hospital, Gulati Road, Parao Mohalla, Samalkha-132101
9	Loni Ghaziabad	Sh Balbir Singh, Work MTS	Dr Pradeep Mitta, B-3/98, Paschim Vihar, N Delhi-110063
10	NIT Faridabad	Sh Chander Pal Singh, MTS	Dr Om Prakash Rakesh, MBBS, 1-E/22, NIT, Market No, Faridabad 121001 Haryana
11	Ballabgarh, Faridabad	Sh Rajnish, MTS	Dr Narender Ghai, MBBS H NO 29/30, Sec-9, Faridabad

ऊपरलिखित अधिकृत चिकित्सा सहायक के कार्यकाल का विस्तार 1.1.2018 से 30.6.2018 तक वैध है और यह विस्तार निम्नवत शर्तों व निबंधन के अधीन है:

1. कि वे सीएस(एमए) नियमावली, 1944 के तहत निर्धारित दरों पर परामर्श (consultation) एवं इंजेक्शन शुल्क वसूल करेंगे।
2. कि वे समय समय पर केंद्रीय सेवा (एम) नियमावली-1944 के तहत नियमों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
3. उनका नामांकन उन्हें बिना कोई कारण बताए अथवा बिना उन्हें कोई नोटिस दिए उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सी एस आई आर के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सा सहायक की सुविधाओं को उनके आवास क्षेत्र को सी जी एच एस स्कीम के तहत कवर्ड एरिया में शामिल पाए जाने पर अथवा नियमानुसार किसी भी चिकित्सा पद्धति का उनके आवास के 5 कि मी की दूरी के भीतर उपलब्ध होने पर, बाद में वापस लिया जा सकता है।

  
(एस के यादव) 22/2/18  
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सम्बंधित कर्मचारी
2. सम्बंधित डाक्टर (AMA)
3. आई टी डिवीज़न को इसे सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित
4. कार्यालय प्रति